केम्प | नम्बर अहका हुक्म में ज
में से
का
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बल्दरखा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–12 / 2017

अनवान

1 नारायण पिता नाथु भील उम्र 10 वर्ष ना.बा.व.वि. माता रामु देवी भील पत्नि नाथु भील निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

2 रामदेव पिता नाथु भील उम्र 05 वर्ष ना.बा.व.वि. माता रामु देवी भील पत्नि नाथु भील निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

3 नीला पिता नाथु भील उम्र 08 वर्ष ना.बा.व.वि. माता रामु देवी भील पत्नि नाथु भील निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

4 कन्या पुत्री नाथु भील नाथु भील उम्र 07 वर्ष ना.बा.व.वि. माता रामु देवी भील पत्नि नाथु भील निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... वादीगण

बनाम

1 रतन पिता काना भील उम्र वयस्क बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
2 गोपाल पिता काना भील उम्र वयस्क बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
3 नाथु पिता काना भील उम्र वयस्क बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
4 राधा पिता काना भील उम्र वयस्क बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
5 काना पत्नि काना भील उम्र वयस्क बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज. फौत डिलीट
6 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा. जिला भील0

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री कृष्ण कुमार जीनगर .... वकील वादीगण
पेरोकार सरकार........विपक्षी संख्या 06

दिनांक – 25.05.2018

वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम बल्दरखा पटवार हल्का क्षैत्र बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित खतौनी संख्या 400 के आराजी संख्या 217, 232 कुल किता 02 कुल रकबा 08–12 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 03 के 1/4 हक हिस्से को समस्त वादीगण संख्या 01 लगायत 04 जरिये संरक्षक माता रामु देवी पत्नि नाथु भील तथा प्रतिवादी संख्या 03 में विभाजित करते हुए, प्रत्येक का 1/20, 1/20 हक आधिपत्य निर्धारित करते हुए, सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 25.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बल्दरखा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा